स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष,
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट,
इंदिरा नगर, निलीकुजही, पो.आ.
कोठामंगलम, केरल — 686691

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए इंदिरा गांधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कोठामंगलम में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 07/07/2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, थेडूपुझा द्वारा जारी 100 लाख रुपए के निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 2/2014 दिनांक 01/07/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10 क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए इंदिरा गांधी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कोठामंगलम में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु इन्दिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, कोठमंगलम को केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच के लिए बढ़ी हुई सीटों पर प्रवेश केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10 ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय,

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित: -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकरों से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध सहित।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग सरकार, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
4. पंजीयक, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज पोस्ट-त्रिशूर, केरल - 680596
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

पंजीयक महोदय,
गीतांजलि विश्वविद्यालय,
गीतांजलि मेडिसिटी, एन.एच. 8,
ईकलिंगपुरा चौराहा के पास,
उदयपुर (राजस्थान) — 313001

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गीतांजलि दंत चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, उदयपुर में 100 सीटों वाले एक बीडीएस कोर्स प्रारंभ करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 05.07.2014 और 07.07.2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और इंडियन बैंक, उदयपुर द्वारा जारी 200 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 006151जी140000004 दिनांक 05/07/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गीतांजलि दंत चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, उदयपुर में 100 सीटों वाले एक बीडीएस कोर्स प्रारंभ करने हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता./-

(देवानंद पी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित: -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकरों से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध सहित।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान
3. उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रेड-1), राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान
4. प्रधानाचार्य, गीतांजलि दंत चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, गीतांजलि मेडिसिटी, एन.एच. 8, ईकलिंगपुरा चौराहा के पास, उदयपुर (राजस्थान) - 313001
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी.1201719812012 -डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-

(देवानंद पी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट / फैक्स द्वारा

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष,
हैदराबाद कर्नाटक एजुकेशन सोसाइटी,
(एच.के.ई सोसायटी निजलिंगप्पा दंत चिकित्सा विज्ञान एंव अनुसंधान संस्थान, गुलबर्गा)
एस.ए.सी. बिल्डिंग, पी.डी.ए. इंजीनयरिंग कॉलेज कैम्पस,
ऐवान - ई - शाही, गुलबर्गा - 585102,
कर्नाटक

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए एच.के.ई सोसायटी एस. निजलिंगप्पा दंत विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, गुलबर्गा में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 40 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 09.07.2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और इंडियन बैंक, उदयपुर द्वारा जारी 120 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 1488141जीपीईआर000 दिनांक 05/07/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए हैदराबाद कर्नाटक एजुकेशन सोसाइटी, गुलबर्गा को एच.के.ई सोसायटी निजलिंगप्पा दंत विज्ञान एंव अनुसंधान संस्थान, गुलबर्गा में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 40 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय,

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित: -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकरों से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध सहित।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, बैंगलोर -560001
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, कर्नाटक सरकार, बैंगलोर — 560009
4. पंजीयक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चौथा 'टी' ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017/98/2013 -डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>*स्पीड पोस्ट / फैक्स द्वारा*</u>

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

डीन,
डीन का कार्यालय,
सरकारी दंत चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल,
जामनगर, गुजरात

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, जामनगर में 4 वर्षीय बीडीएस कोर्स की सीटों को 40 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 11.07.2014 के आपके पत्र, जिसमें आपने डीसीआई की सिफारिशों के अनुसार 11.7.2017 का अपेक्षित वचनपत्र तथा इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया है, के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, जामनगर में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 40 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्री की मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित: -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के दिनांक 11/07/2014 के पत्र की प्रति सहित।
2. मुख्य/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार, 717, सरदार भवन, सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात,
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार, 717, सरदार भवन, सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात
4. पंजीयक, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय कैम्पस, राजकोट - 360005, गुजरात
5. एडीसी (एम), सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017/47/2008-डी.ई

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>.

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधानाचार्य
एम.ई.एस. डेंटल कॉलेज,
पेरिन्तल्मन्न पालाछोडे (पी.ओ.), कोलाथुर,
मलप्पुरम (जिला),
केरल - 679338

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए एमईएस डेंटल कॉलेज, मलप्पुरम में मौजूदा बी.डी.एम. कोर्स में सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 07.07.2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और पंजाब नेशनल बैंक, कोझीकोड द्वारा जारी 100 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 425711.जी000714 दिनांक 09/06/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए एमईएस डेंटल कॉलेज, पेरिनथालमन्ना को एमईएस डेंटल कॉलेज, मलप्पुरम में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्रीकी मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ: -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकरों से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
3. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
4. पंजीयक, केरल स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज पी.ओ. त्रिशूर, केरल 680596
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017/79/2013 -डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष, नूरूल इस्लाम ट्रस्ट,
(एआई-अजहर डेंटल कॉलेज),
वी/64, भूतल, प्रशासनिक ब्लॉक, अल-अजहर कैम्पस,
पेरुमपिल्लईचिरा पी. ओ. इडुक्की, जिला
केरल - 685605

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए अल-अजहर डेंटल कॉलेज, थोडूपुझा, केरल में मौजूदा बी.डी.एम. कोर्स में सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 07.07.2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और पंजाब नेशनल बैंक, कोझीकोड द्वारा जारी 100 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 1/2014 दिनांक 03/07/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए नूरूल इस्लाम ट्रस्ट (अल-अज़र दंत चिकित्सा कॉलेज), ईडुकी को अल-अजहर डेंटल कॉलेज, थोडूपुझा, केरल में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्री की मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकर से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
4. पंजीयक, केरल स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज पी.ओ. त्रिशूर, केरल 680596
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017/89/2013-डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.12017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष,
पी.एस. पी.एस. एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट,
(पी.एस.एम. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च),
बाईपास रोड, अकीकावु पो. त्रिशूर जिला,
केरल - 680519

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए पी.एस.एम. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, त्रिशूर में मौजूदा बी.डी.एम. कोर्स में सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 08.07.2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और फेडरल बैंक लिमिटेड, पेरुमपिलावो द्वारा जारी 100 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या शून्य दिनांक 09/07/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए पी.एस. एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, त्रिशूर के पी.एस.एम. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, त्रिशूर में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्री की मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकरों से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
4. पंजीयक, केरल स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज पी.ओ. त्रिशूर, केरल - 680596
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017/813/2013-डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष,
मालाबार एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट,
मनूर, चेकानुर रोड, मधुर पी.ओ.
इडापल्ल, मलप्पुरम जिला
केरल

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए मालाबार डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, मलप्पुरम जिले में मौजूदा बी.डी.एम. कोर्स में सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 10/07/2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और फेडरल बैंक लिमिटेड, सुहरा विजईवालापील द्वारा जारी 100 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 1बीजी53395 दिनांक 07/07/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए मालाबार एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मलप्पुरम के मालाबार डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, मलप्पुरम जिले में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्री की मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ: -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकरों से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
4. पंजीयक, केरल स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज पी.ओ. त्रिशूर, केरल 680596
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017/95/2013-डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.12017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष
सरकारी दंत चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल,
धन्वंतरी नगर,
औरंगाबाद - 431001

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गर्वनमेंट डेंटल कॉलेज एवं हास्पिटल, औरंगाबाद में मौजूदा बी.डी.एम. कोर्स में सीटों को 40 से बढ़ाकर 50 करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 11/07/2014 के आपके पत्र, जिसके साथ दिनांक 11.7.2014 का अपेक्षित वचनपत्र संलग्न है तथा इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गर्वनमेंट डेंटल कॉलेज एवं हास्पिटल, औरंगाबाद में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 40 से बढ़ाकर 50 करने हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्री की मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकर से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा और औषधि, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र विभाग
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और औषधि, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र विभाग
4. पंजीयक, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, महसूल, वाणी रोड, नासिक - 422004, महाराष्ट्र
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017 / 104 / 2012 - डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रबंध न्यासी
एजुकेयर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज
किलीयामान्नील कैम्पस, कॉलेज रोड,
छित्तीपरामबा,
मलप्पुरम - 676504, केरल

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए एजुकेयर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, मलप्पुरम में मौजूदा बी.डी.एम. कोर्स में सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 09/07/2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और फेडरल बैंक लिमिटेड, सुहरा विजईवालापील द्वारा जारी 100 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 0351बीजी000082014 दिनांक 03/07/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए एजुकेयर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, मलप्पुरम के एजुकेयर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, मलप्पुरम में मौजूदा बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से बढ़ाकर 100 करने हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्री की मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकरों से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
3. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
4. पंजीयक, केरल स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज पी.ओ. त्रिशूर, केरल - 680596
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. I20 I7/75/2011-डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.।20।7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

निदेशक
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
मेडिकल कॉलेज पोस्ट, तिरुवनंतपुरम
केरल - 695011

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए 50 सीटों वाले एक बी.डी.एम. कोर्स को शुरू करने के लिए गर्वनमेंट डेंटल कॉलेज, अलाप्पुझा, केरल के नाम पर एक नए दंत चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 09/07/2014 के आपके पत्र, जिसके साथ दिनांक 8/07/2014 का अपेक्षित वचनपत्र संलग्न है तथा इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए 50 सीटों वाले एक बी.डी.एम. कोर्स को शुरू करने के लिए गर्वनमेंट डेंटल कॉलेज, अलाप्पुझा, केरल में के नाम पर एक नए दंत चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्रीकी मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिनांक 08/07/2014 और 09/07/2014 के पत्र की एक प्रति सहित।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
4. पंजीयक, केरल स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज पी.ओ. त्रिशूर, केरल 680596
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. । 20 । 7/75/2011-डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 2017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष
श्री गुरुदत प्रतिष्ठान नांदेड़
46, विट्ठल निवास यशवंत नगर, पावदेवडी
नाका, नांदेड़ - 431602, महाराष्ट्र

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए नांदेड़ रूरल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, नांदेड़ के नाम पर नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 10/07/2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, औरंगाबाद द्वारा जारी 200 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 2/01 दिनांक 09/07/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए 100 बीडीएस पाठ्यक्रमों की सीटों सहित श्री गुरुदत प्रतिष्ठान नांदेड़ को नांदेड़ रूरल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, नांदेड़ के नाम पर नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्रीकी मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ: -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकरों से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा और औषधि, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र विभाग
3. निदेशक (एमई), चिकित्सा शिक्षा और औषधि, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र विभाग
4. पंजीयक, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, महसूल, वाणी रोड, नासिक - 422004, महाराष्ट्र
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017/75/2013 -डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष
जोगीनपल्ली बी. आर. एजुकेशनल सोसायटी
6-4-248/ I / I ए, चौथी लेन
भास्कर प्लाजा रोड संख्या; 1
बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए श्री बालाजी डेंटल कॉलेज, हैदराबाद के नाम पर नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 10/07/2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और सेडिकेट बैंक, गोलकोन्डा द्वारा जारी 200 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 8/2014-बी10बी10बीजीपीजी141910003 दिनांक 10/07/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए 100 बीडीएस पाठ्यक्रमों की सीटों सहित श्री बालाजी डेंटल कॉलेज, हैदराबाद के नाम पर नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्रीकी मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकर से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, सचिवालय, हैदराबाद
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), चिकित्सा शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, सचिवालय, हैदराबाद
4. डॉ एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. वी.I 2017/76/2013 -डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सिद्धपुर डेंटल कॉलेज,
(गुजरात दंत चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी)
देथाई, तहसीलः सिद्धपुर,
जिला- पाटन, गुजरात

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए सिद्धपुर डेंटल कॉलेज एंव हॉस्पिटल में तृतीय वर्ष के लिए 100 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम – वचनपत्र – के संबंध में।

महोदय,

मुझे दिनांक 11/07/2014 के आपके पत्र, जिसके साथ डीसीआई की दिनांक 14.6.2014 की सिफारिश के अनुसार अपेक्षित वचनपत्र संलग्न किया गया है तथा इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तो को स्वीकार किया गया है, के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए 100 बीडीएस पाठ्यक्रमों सीटों वाले सिद्धपुर डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पाटन को तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्री की मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. दिनांक 11/07/2014 को सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र की एक प्रति सहित।
2. मुख्य/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार, 7/7, सरदार भवन, सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात,
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार, 7/7, सरदार भवन, सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात
4. पंजीयक, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय कैम्पस, राजकोट - 360005, गुजरात
5. एडीसी (एम), सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017/4912010-डी.ई

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.। 20। 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

निर्देशक,
क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
इम्फाल – 795004

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए दंत चिकित्सा कॉलेज, आरआईएमएस, इम्फाल में तृतीय वर्ष के लिए 50 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 8/07/2014 के आपके पत्र, जिसके साथ डीसीआई की दिनांक 14.6.2014 की सिफारिश के अनुसार अपेक्षित वचनपत्र संलग्न किया गया है तथा इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है, के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए 50 बीडीएस पाठ्यक्रमों सीटों वाले दंत चिकित्सा कॉलेज, आरआईएमएस, इम्फाल को तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति के नवीकरण की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्रीकी मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. दिनांक 08/07/2014 को सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र की प्रति सहित।
2. संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर प्रभाग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली,
3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मणिपुर सरकार, इम्फाल
4. पंजीयक, मणिपुर विश्वविद्यालय, कॉचीपुर, इम्फाल, मणिपुर
5. एडीसी (एम), सामान्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी.12017174/2008-डी.ई

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 20I 7/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष
ताडीकेला सुब्बैया ट्रस्ट
सुब्बैया अस्पताल परिसर,
जेल रोड, शिमोगा के पास,
कर्नाटक - 577201

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए सुब्बैया दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिमोगा के नाम से 100 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 07/07/2014 के आपके पत्र, जिसमें इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है और बैंक ऑफ इंडिया, शिमोगा द्वारा जारी 200 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 8450I पीईबीजी140002 दिनांक 26/06/2014 को प्रस्तुत किया गया है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए ताडीकेला सुब्बैया ट्रस्ट, शिमोगा के सुब्बैया दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिमोगा के नाम से 100 सीटों वाले एक नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्रीकी मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकर से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, बैंगलूर – 560001
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), कर्नाटक सरकार, बंगलौर – 560009
4. पंजीयक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, 4 'टी' ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. 12017/8912012 -डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.।2017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
गर्वनमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वीआईएमएस, छावनी,
बेल्लारी - 583104, कर्नाटक

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गर्वनमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेल्लारी में 50 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम के अगले बैच के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति ।

महोदय,

मुझे दिनांक 5/07/2014 के आपके पत्र, जिसके साथ डीसीआई की दिनांक 14.6.2014 की सिफारिश के अनुसार अपेक्षित वचनपत्र संलग्न किया गया है तथा इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है, के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गर्वनमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेल्लारी में 50 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम के अगले बैच के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्रीकी मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिनांक 05/07/2014 के पत्र की प्रति सहित।
2. मुख्य / प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर, कर्नाटक
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर, कर्नाटक
4. पंजीयक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, 4 'टी' ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर
5. एडीसी (एमई), सामान्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. । 2017/11/2007-डी.ई

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 2017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
पटना डेंटल कॉलेज,
अशोक राजपथ, पीओः बॉकीपुर,
पटना - 800004 (बिहार)

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए पटना डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में 40 सीटों के साथ बीडीएस पाठ्यक्रम में छात्रों के नए बैच के प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 10/07/2014 के आपके पत्र, जिसके साथ डीसीआई की दिनांक 14.6.2014 की सिफारिश के अनुसार अपेक्षित वचनपत्र संलग्न किया गया है तथा इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया गया है, के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए पटना डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में बीडीएस पाठ्यक्रम में छात्रों के नए बैच के प्रवेश के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्री की मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिनांक 10/07/2014 के पत्र की प्रति सहित।
2. प्रमुख /प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा), बिहार सरकार, पटना (बिहार)
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा), बिहार सरकार, पटना (बिहार)
4. पंजीयक, पटना विश्वविद्यालय, पटना - 800005
5. एडीसी (एमई), सामान्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी.12025/1612000-डी.ई

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.। 2017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रबंध न्यासी
रामचंद्र एजुकेशनल ट्रस्ट
नंबर 31बी, जवाहर लाल नेहरू सलाई,
थिउनगर, वादापालानी, चेन्नई - 600 026

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए श्री वेंकटेश्वर डेंटल कॉलेज, पुडुचेरी के नाम से नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 09/07/2014 के आपके पत्र, जिसमें आपने इस मंत्रालय के दिनांक 03/07/2014 के समसंख्यक पत्र में निहित शर्तों को स्वीकार किया है और एसबीआई, त्रावणकोर द्वारा जारी 200 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 7064414बीजी0000089 दिनांक 8/07/2014 प्रस्तुत की है, के संदर्भ में दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10क (4) के तहत शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए रामचंद्र एजुकेशनल ट्रस्ट, चेन्नई को वेंकटेश्वर डेंटल कॉलेज, पुडुचेरी के नाम से 100 सीटों वाले एक नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में अगले बैच में छात्रों का प्रवेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण / डिग्रीकी मान्यता के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय
हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकर से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध के सहित।
2. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सरकार पांडिचेरी, पांडिचेरी
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), सरकार पांडिचेरी, पांडिचेरी
4. पंजीयक, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आर.वेंकटरमन नगर, पांडिचेरी-605014
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. फाइल संख्या वी. ।2017/92/2013 -डी.ई.
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.। 2017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
अन्नुर डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल,
पुथुप्पेडी, पोस्ट- पेरुमाट्टम,
मुवात्तुपूजा - 686673

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए अन्नुर डेंटल कॉलेज एंव हॉस्पिटल, मुवात्तुपूजा में चौथे वर्ष के बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से घटाकर 40 करने की अनुमति के नवीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने दिनांक 14 जून, 2014 के पत्र सं डीई-3(174)-2014/**A**-946 द्वारा उसमें उल्लिखित कुछ कमियों / टिप्पणियों के कारण केन्द्र सरकार को अन्नुर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुवात्तुपूजा में चौथे वर्ष के बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से घटाकर 40 करने की अनुमति के नवीकरण की सिफारिश की है।

2. इसके अलावा, दंत चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम 1993, की धारा 10क (4) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 30/06/2014 को मंत्रालय में आपको सुनवाई का एक अवसर दिया गया था। आपके / आपके प्रतिनिधि द्वारा दी गई प्रस्तुति पर विचार करने के बाद उक्त समिति ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि इस मामले को समीक्षा और अनुपालन हेतु सत्यापन मूल्यांकन के लिए डी.सी.आई. को सौप दिया जाए। तदनुसार, कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को दिनांक 02/07/2014 के पत्र सं.वी.12017/5/2010-डीई से डीसीआई को भेजा गया था।

3. उपर्युक्त के उत्तर में डीसीआई ने दिनांक 08/07/2014 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि परिषद किसी डेंटल कॉलेज के किसी भी अनुपालन रिपोर्ट / अभ्यावेदन / आवेदन पर बिना भौतिक सत्यापन / अनुपालन सत्यापन निरीक्षण के बिना विचार / पुनः विचार नहीं कर सकती और परिषद सांविधिक समय-सारणी तथा प्रिया गुप्ता एवं मृदुल धर के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्तमान वर्ष 2014-15 के लिए 15 जून, 2014 के बाद कोई नया निरीक्षण नहीं कर सकती। अंततः डीसीआई की कार्यकारी समिति ने सीटों को कम करने की अपनी पूर्व अनुमति के अपने पूर्व निर्णय को दोहराया।

4. उपर्युक्त को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने डीसीआई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अन्नुर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुवात्तुपूजा में अन्नुर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुवात्तुपूजा में चौथे वर्ष के बीडीएस कोर्स की सीटों को 50 से घटाकर 40 करने की अनुमति के नवीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है।

5. सीटों को 50 से घटाकर 40 करने की यह अनुमति केवल एक साल के लिए वैध है और *शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान 40 छात्रों के केवल एक ही बैच* को प्रवेश के लिए मान्य है। बीडीएस पाठ्यक्रम में छात्रों के अगले बैच का प्रवेश केन्द्र सरकार की अनुमति के नवीकरण के बाद ही किया जाएगा।

6. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

7. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
4. पंजीयक, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य अस्पताल, पोस्ट – त्रिशुर, केरल- 680596
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. गार्ड फाइल
7. फाइल संख्या वी.12017/44/2010-डी.ई.

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या वी.I 2017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत चिकित्सा शिक्षा विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्राचार्य,
आर. आर. डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल,
उमरा रेलवे स्टेशन के सामने, गांव - उमरदा,
जिला- उदयपुर - 313001

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए आर.आर. डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उदयपुर में द्वितीय वर्ष के बीडीएस कोर्स की सीटों को 100 से घटाकर 50 करने की अनुमति के नवीकरण के संबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने दिनांक 14 जून, 2014 के पत्र सं डीई-3(174)-2014/ए-911 द्वारा उसमें उल्लिखित कुछ कमियों के कारण केन्द्र सरकार को आर.आर. डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उदयपुर में दूसरे वर्ष के बीडीएस कोर्स की सीटों को 100 से घटाकर 50 करने की अनुमति के नवीकरण की सिफारिश की है।

2. इसके अलावा, दंत चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम 1993, की धारा 10क (4) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 30/06/2014 को मंत्रालय में आपको सुनवाई का एक अवसर दिया गया था। आपके / आपके प्रतिनिधि द्वारा दी गई प्रस्तुति पर विचार करने के बाद उक्त समिति ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि इस मामले को समीक्षा और अनुपालन हेतु सत्यापन मूल्यांकन के लिए डी.सी.आई. को सौप दिया जाए। तदनुसार, कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को दिनांक 02/07/2014 के पत्र सं.वी.12017/5/2010-डीई से डीसीआई को भेजा गया था।

3. उपर्युक्त के उत्तर में डीसीआई ने दिनांक 08/07/2014 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि परिषद किसी डेंटल कॉलेज के किसी भी अनुपालन रिपोर्ट / अभ्यावेदन / आवेदन पर बिना भौतिक सत्यापन / अनुपालन सत्यापन निरीक्षण के बिना विचार / पुनः विचार नहीं कर सकती और परिषद सांविधिक समय-सारणी तथा प्रिया गुप्ता एवं मृदुल धर के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्तमान वर्ष 2014-15 के लिए 15 जून, 2014 के बाद कोई नया निरीक्षण नहीं कर सकती। अंततः डीसीआई की कार्यकारी समिति ने सीटों को कम करने की अपनी पूर्व अनुमति के अपने पूर्व निर्णय को दोहराया।

4. उपर्युक्त को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने डीसीआई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अन्नुर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुवातुपूजा में आर.आर. डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उदयपुर में दूसरे वर्ष के बीडीएस कोर्स की सीटों को 100 से घटाकर 50 करने की अनुमति के नवीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है।

5. सीटों को 100 से घटाकर 50 करने की यह अनुमति केवल एक साल के लिए वैध है और *शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान 50 छात्रों के केवल एक ही बैच* को प्रवेश के लिए मान्य है। बीडीएस पाठ्यक्रम में छात्रों के अगले बैच का प्रवेश केन्द्र सरकार की अनुमति के नवीकरण के बाद ही किया जाएगा।

6. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

7. विसंगतियां, यदि कोई हों, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(देवानंद पी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ: -

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
3. निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बी) विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
4. पंजीयक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुम्भा माग्र, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर- 302033
5. ए.डी.जी. (एम.ई.), डी.जी.एच.एस., निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. गार्ड फाइल
7. फाइल संख्या वी. 12017/44/2010-डी.ई.

हस्ता./-

(देवानंद पी.)

अवर सचिव, भारत सरकार